राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, 2700447 E-mail: sfg.rcse@gmail.com

क्रमांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/रैकरिंग/ 9425 दिनांक : 27/11/14

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
एवं जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला– अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक,उदयपुर।

विषय :– मॉडल स्कूलों में आवर्ती मद के व्यय के सम्बन्ध में निर्देश।
संदर्भ :– परिषद का पूर्व पत्रांकः रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/5987 दिनांक 26.06.14 के कम में।

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि आपके जिले में मॉडल स्कूल योजना के तहत संचालित मॉडल स्कूलों में आवर्ती राशि में से विभिन्न गतिविधियों हेतु राशि जारी की गई थी जिसमें प्रत्येक गतिविधि हेतु प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी स्वीकृत राशि का उल्लेख करते हुए राशि व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार आवर्ती मद की राशि को प्रति माह प्रति विद्यार्थी 395.00 तक की सीमा में पूर्व उल्लेखित समस्त गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक गतिविधि की अधिकतम व्यय सीमा हटा दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों दिनांक 07.10.2014 की प्रति संलग्न है। अतः पूर्व जारी आदेशों को तदनुसार संशोधित करते हुए कार्यवाही करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डॉ. श्याम लाल गुर्जर)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
2. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, जिला– अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली ।

29/11

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, 2700447 E-mail: sfg.rcse@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / वित्त एवं लेखा सम्बन्धी / 8133 दिनांक : 11/7/2014

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
एवं जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला– अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक,उदयपुर।

विषय :– जुलाई 2014 से प्रारम्भ किए जाने वाले मॉडल स्कूलों में आवश्यक वित्तीय एवं अन्य लेखों का संधारण किए जाने के सम्बन्ध मे।

विषयान्तर्गत लेख है कि जुलाई 2014 से संचालन प्रारम्भ किए जाने वाले मॉडल स्कूलों में निम्नांकित रिकार्ड का आवश्यक रूप से नियमानुसार संधारण किए जाने हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करें।

क्र.स.	लेखों की सूची	क्र.स.	लेखों की सूची
1.	कैश बुक	13	पियोन डायरी
2.	स्टॉक प्रविष्ठी रजिस्टर (अस्थाई एवं स्थाई सामग्री)	14	संस्थापन रजिस्टर
3.	रसीद प्रपत्र	15	पत्र प्राप्ति रजिस्टर
4.	प्रवेश रजिस्टर	16	पत्र प्रेषण रजिस्टर
5.	उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु	17	स्टाम्प रजिस्टर
6.	विजिटर्स रजिस्टर	18	शिकायत पुस्तिका
7.	चालान रजिस्टर	19	साप्ताहिक योजना पंजिका
8.	डी.डी. रजिस्टर	20	कैश रसीद वाउचर
9.	अग्रिम रजिस्टर	21	टी.सी. रिकार्ड
10.	पै पोस्टिंग रजिस्टर	22	मदवार आय व्यय
11.	बिल रजिस्टर	23	सुझाव पुस्तिका रजिस्टर
12.	इशू रजिस्टर		

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित नियमों के अनुसार ही समस्त लेखों का संधारण किया जावे।

(सीमा सिंह)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर, जिला– अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली ।

अति. राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप, जयपुर

894
5.7.14

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, 2700447 E-mail: sfg.rcse@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/ मॉडल स्कूल/ 5927 दिनांक : 2/6/14

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि .),
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला– अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक,उदयपुर।

विषय :– मॉडल स्कूलों हेतु आवर्ती मद में जारी राशि के उपयोग के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि जुलाई 2014 से प्रारम्भ किये जाने वाले मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु आवर्ती मद की राशि परिषद के कमांकः रामाशिप/जय/लेखा/13–14 दिनांक 23.06.2014 के द्वारा जारी कर दी गई है अतः उक्त राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार निम्नांकित दो मदों में राशि स्वीकृत की गई है।

A. वेतन मद – वास्तविक व्यय के आधार पर
B. विभिन्न गतिविधियों हेतु – प्रति छात्र संख्या के आधार पर

- वेतन मद में प्रति मॉडल स्कूल वर्तमान में 18.00 लाख रू. की राशि आगामी चार माह के लिये जारी की गई है जिसका व्यय मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्त कार्मिकों के वास्तविक वेतन को आधार मान कर किया जा सकेगा।
- प्रति मॉडल स्कूल 2 सहायक सेवा एवं 1 चौकीदार सेवा प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से ली जा सकेगी।
- सहायक सेवा एवं चौकीदार सेवा मॉडल स्कूल के अधिग्रहण के पश्चात ही प्रारम्भ की जा सकेगी।
- सहायक सेवा हेतु प्रति सेवा 4000/– प्रति माह की दर से राशि प्रति माह व्यय की जा सकेगी जिसमें नियमानुसार सर्विस जार्च एवं सर्विस टैक्स भी शामिल होगा।
- चौकीदार सेवा हेतु 6000/– की दर से राशि स्वीकृत की जा चुकी है उक्त निर्धारित राशि में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर चौकीदार सेवा मानदेय में नियमानुसार सर्विसचार्ज एवं सर्विस टैक्स शामिल होगा। उक्त निर्देश पूर्व में भी प्रसारित किए जा चुके हैं। उक्त दोनों सेवाओं का व्यय वेतन मद से किया जा सकेगा।
- विभिन्न गतिविधियों के लिये छात्र संख्या के अनुसार गतिविधिवार राशि व्यय किए जाने की सीमा निम्नानुसार है। अतः छात्रों की संख्या के आधार पर ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

राशि रूपयों में

क्र. स.	गतिविधि का नाम	निर्धारित मापदण्ड अनुसार एक वर्ष के लिये प्रति विद्यार्थी स्वीकृत राशि	प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी स्वीकृत राशि	वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या	उपलब्ध बजट के आधार पर चार माह हेतु जारी की जाने वाली राशि (रुपये में) –प्रति विद्यार्थी	240 विद्यार्थियों हेतु जारी की जांने योग्य राशि
1	Repairs and Maintenance of school bulding, classrooms, rent for the school building furniture and	1000.00	83.33	240	वर्तमान में राशि जारी नहीं	

Scanned by CamScanner

2	labroratory consumables	400.00	33.33	240	वर्तमान में राशि जारी नहीं	
3	School functions/sports acitivites/excursions	600.00	50.00	240	200.00	48,000
4	Conduct of Examinations	200.00	16.67	240	66.00	15,840
5	Maintenace of computers and soft-wares	500.00	41.67	240	166.00	44,640
6	Medical Care, First-aid kit etc	250.00	20.83	240	83.00	19,920
7	Misc. office expenses and contingencies including payment of electricity bilsls and warter charges etc.	1200.00	100.00	240	400.00	96,000
8	Library facilities-e.g. purchase of books, magazines, etc, Taching Aids and Craft equipments etc. (for Nine months)	600.00	50.00	240	450.00 (नौ माह हेतु)	1,08,000
	कुल योग	4750.00	395.83		1464	3,32,400
	राशि रू. तीन लाख बत्तीस हजार चार सो मात्र					

- प्रत्येक मद में जारी राशि एवं व्यय राशि का पृथक–पृथक नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया जावे ताकि नियमित रूप से आय व्यय का आकलन किया जा सके।
- उक्त निर्देशों की पालना हेतु सम्बन्धित मॉडल स्कूलों को विस्तृत निर्देश जिला स्तर से शीघ्र प्रसारित किए जावें।

(अनूप खींची)
राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, बांरा, बाड़मेर, भीलवाडा, बून्दी, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, नागौर, राजसमन्द, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।
1. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप, जयपुर

Scanned by CamScanner